भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4164

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य आयात अस्वीकृति अलर्ट (एफआईआरए)

4164. श्री मनीष जायसवाल:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री दामोदर अग्रवाल:

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्न के आयात हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्य आयात अस्वीकृति अलर्ट (एफआईआरए) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) झारखंड में एफआईआरए के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान अस्वीकृत खाद्य पदार्थों का वर्षवार/देशवार ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों से ऐसे खाद्य पदार्थों का आयात किया जा रहा है;

(ङ) खाद्य आयात की जांच के लिए मौजूदा अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने उक्त अलर्ट की प्रभावशीलता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश के खाद्य विनियामक के रूप में आयातित खाद्य पदार्थों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एफएसएसएआई की अपनी खाद्य आयात स्वीकृत प्रणाली (एफआईसीएस) है, जो एसडब्ल्यूआईएफटी (व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एकल विंडो इंटरफेस) के तहत सीमा शुल्क के आईसीईई-गेट (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक

वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे) के साथ एकीकृत एक उन्नत पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य आयात को विनियमित करने के लिए एफएसएसएआई ने कुल 162 खाद्य आयात प्रवेश बिंदुओं [हवाई अड्डे/समुद्री बंदरगाह/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस)] पर प्राधिकृत अधिकारी (एओ) अधिसूचित किए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (आयात) विनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार, एफएसएसएआई ने सितंबर 2024 में खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी (एफआईआरए) पोर्टल लॉन्च किया था। 'एफआईआरए' आम जनता और निर्यातक देश के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण दोनों के लिए एक ऑनलाइन अलर्ट अधिसूचना मंच के उद्देश्य से कार्य करता है, जिसे एफएसएसएआई के खाद्य आयात निकासी प्रणाली (एफआईसीएस 2.0) के साथ भी एकीकृत किया गया है। यह पोर्टल निर्यातक देशों से भारत में आयातित खाद्य वस्तुओं की अस्वीकृति के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसलिए, ऐसे अस्वीकृत खाद्य पदार्थ झारखंड सहित भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। इस पोर्टल के कई लाभ हैं: -

i. भारत में अस्वीकृत आयातित खाद्य पदार्थों पर दुनिया भर के खाद्य अधिकारियों के बीच सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान;

ii. संबंधित खाद्य अधिकारियों/हितधारकों को अपने देश में किसी भी खाद्य से संबंधित रोकथाम और नियंत्रण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है;

iii. सूचना के त्वरित प्रसार के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव इंटरफेस;

iv. अस्वीकृत खाद्य उत्पादों को ट्रैक करने और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को और सुदृढ़ करने के लिए एक मूल्यवान डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।

खाद्य आयात अस्वीकृति डेटा का विवरण एफआईआरए पोर्टल fira.fssai.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

******